कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता–किशोरपुरा कोटा–09 (राज0), ईमेल:–ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:– 0744–2500194

क्रमांक:एफ13(153)एफसीए/सीसीएफकोटा/2023/ 1518 दिनांक : 13-3-2023

निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए राजस्थान जयपुर।

विषय: Permission for Running of existing gaushala in forest land lakhawa dist. kota Raj.
(Online Proposal No. FP/RJ/Others/25462/2017)

प्रसंग: आपका ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 06.12.2022 एवं पत्रांक एफ14(222/14) 2014/एफसीए/प्रमुवसं/4112 दिनांक 06.12.2022 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक ई0डी0एस0 एवं पत्र दिनांक 06.12.2022 के क्रम में उप वन संरक्षक कोटा ने पत्रांक 729 दिनांक 24.01.2023 एवं पत्रांक 1826 दिनांक 28.02.2023 से चाही गई बिन्दूओं की सूचना तैयार कर कार्यालय में प्रेषित की है जो निम्नानुसार है:–

क्र0सं0	आक्षेप	पालना
1	उप वन संरक्षक पार्ट–II के बिन्दु संख्या 5 में कार्य योजना प्रस्तावों का विवरण अंकित नही किया गया है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा पार्ट–II के बिन्दु संख्या 5 की पूर्ति कर दी गयी है।
2	मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन का होना पाया गया है जबकि उप वन संरक्षक स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लंघन नही होना पाया गया है इस विरोधाभास को स्पष्ट किया जना प्रस्तावित है वर्तमान में गौशाला संचालित है अतः पार्ट–II के बिन्दु संख्या 11 एवं 12 की पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा पार्ट–II के बिन्दु संख्या 11 एवं 12 की पूर्ति कर दी गयी है।
3	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करावें।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत वन अपराध एफ.आई.आर. 32–41 दिनांक 14.02.2023 को दर्ज किया जाकर वन अपराध का प्रशम्न कर लिया गया है इसके अतिरिक्त, न्यायालय सहायक वन संरक्षक कोटा में दर्ज प्रकरण संख्या 131/2015 में पारित निर्णय की पालना में शास्ती राशि रूपये 46000 की वसूली की गई है। (डी0डी0 संलग्न)
4	प्रस्ताव में 4 पेच में गैर वनभूमि उपलब्ध करायी गयी है जिसकी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना एक्जाई बनायी गयी है जबकि इनकी पृथक पृथक योजना बनायी जानी प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा पृथक पृथक योजना बनाकर प्राप्त गैर वनभूमि खेड़ली नोनेरा में खसरा नम्बर 42,173,174,40,10 कुल क्षेत्रफल 4.69 है0 में वास्तविक क्षेत्र के अनुरूप 400 पौधे प्रति है0 कि दर से एन.एफ.एल. मॉडल अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। प्राक्कलन की प्रति संलग्न कर दी है तथा शेष 700 पौधे प्रति है0 कि वृक्षारोपण कार्य डी.एफ.एल. मॉडल के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है साथ ही मॉडल की प्रति संलग्न है।
5	प्रस्ताव में प्राप्त गैर वनभूमि के पृथक पृथक स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नही किये गये है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा पृथक पृथक स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है।

Signature valid
Digitally signed by Mahesh Chand Gupta
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.03.14 12:28:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3377507

6	प्रस्ताव प्राप्त गैर वनभूमि में वन विभाग की सीमाए ओवरलेपिंग हो रही है जिसका उप वन संरक्षक के स्तर पर परीक्षण करवाया जावे।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव में संलग्न गैर वनभूमि वन विभाग की सीमा के साथ लगी हुई है संलग्न डी.जी.पी.एस. खसरा मेप में उक्त खसरों को दर्शाया गया है तथा साथ ही वन भूमि की जमाबन्दी भी संलग्न कर दी गई है।
7	यूजर ऐजन्सी द्वारा प्रोजेक्ट कॉस्ट शुन्य दर्शायी गयी है जबकि प्रस्ताव में सम्मिलित एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना दण्डात्मक राशि किस प्रकार जमा की जावेगी, स्पष्ट नही है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा अवगत कराया है कि एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना दण्डात्मक राशि का भुगतान गौशाला द्वारा किया जायेगा जिसके लिए प्रयोक्ता एजेन्सी ने अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की है।
8	प्रस्ताव में जिला कलेक्टर के आदेशानुसार 4.69 है0 का आवंटन किया गया था जिसे जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 10.06.2015 को निरस्त कर दिया गया। प्रस्ताव में 2.48 है0 भूमि गैर वन भूमि भी सम्मिलित है जो किस प्रकार से प्रस्ताव के साथ जुडी हुई है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा अवगत कराया है कि गायों की कुल संख्या के अनुपात में आवंटित भूमि 4.69 है0 कम होने के कारण गौशाला विकास कार्य हेतु 2.48 है0 गैर वनभूमि क्रय की गई है। जिसके पत्रादि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
9	प्रस्ताव के साथ संलग्न के0एम0एल0 फाइल को क्षेत्र प्रत्यावर्तित वनभूमि के बराबर नही है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा संशोधित के0एम0एल0 फाइल अपलोड कर दी गयी है।
10	उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव में 228 वृक्षों का विदोहन होना है अथवा नही स्पष्ट नही है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव में शामिल 228 पेड़ो का विदोहन नही किया जायेगा इस संबंध में गौशाला समिति द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग संलग्न है।
11	उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में किस रक्षित वनखण्ड में वनभूमि प्रत्यावर्तित की जा रही है स्पष्ट नही किया गया है एवं उसकी प्रति भी संलग्न नही की गयी है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित स्थल वनखण्ड लखावा 'ए' (रक्षित) में स्थित है जिसकी नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न है।
12	यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो मुख्यत : शपथ पत्र में उल्लेखित खसरा प्रत्यावर्तित वनभूमि से संबंधित नहीं है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा अवगत कराया है कि शपथ पत्र में प्रत्यावर्तित वनभूमि के पुराने खसरा नम्बर अंकित कर दिये गये थे अब उनके स्थान पर संशोधित शपथ पत्र एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रति संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक:एफ13(153)एफसीए/सीसीएफकोटा/2023/ दिनांक :

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक कोटा को उनके पत्रांक 729 दिनांक 24.01.2023 एवं पत्रांक 1826 दिनांक 28.12.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

Signature valid
Digitally signed by Mahesh Chand Gupta
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.03.14 12:28:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3377507